COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

34

निग - 1611 - 21 - 16

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2016 पुनरीक्षण

कायम किया

श्री मुकेश केकड़ा अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत 25/5/16

1. राजेन्द्र पुत्र परशुराम दीक्षित
निवासी ग्राम–चन्द्रोल
तहसील–भाण्डेर जिला- दतिया

2. संदीप पुत्र रमेशचन्द्र पुरोहित
निवासी–एम.एल.बी स्कूल के पीछे
दतिया तहसील व जिला–दतिया

विरूद्व

1. मध्यप्रदेश शासन

2. निधी गुप्ता पुत्री डॉ.ए.के. गुप्ता
निवासी–धमताल पुरा दतिया म.प्र.

3. घनश्यामदास पुत्र परसराम सिंधी
निवासी–पकोडया महादेव दतिया

4. मनोहरलाल पुत्र गांगनदास सिंधी
निवासी–गाडीखाना मार्ग दतिया

तहसीलदार तहसील–बडौनी के न्यायालय के प्रकरण क्रमांक–101/बी–121/2015-16 में तहसीलदार बडौनी द्वारा दिनांक 03–05–2016 को प्रारंभ की गयी पुनरावलोकन की कार्यवाही, अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग–दतिया द्वारा दी गयी पुनरावलोकन की अनुमति दिनांक 07–05–2016 एवं उसके आधार पर तहसीलदार द्वारा की जा रही कार्यवाही के पुनरीक्षण हेतु आवेदन हेतु अंतर्गत धारा–50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

25/5/16

आवेदकगण निम्नानुसार पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करते है–

संक्षिप्त तथ्य:–

1. यह कि, ग्राम गोविन्दपुर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1058/1 के भूमि स्वामी अनावेदकगण क्रमांक 2, 3 एवं 4 है उन्होंने यह भूमि पूर्व में अभिलिखित भूमि स्वामीयों चन्द्रप्रकाश पुत्र शिवकुमार, अशोककुमार पुत्र काशीराम वैश्य आदि से पंजीकृत विक्रय पत्रों द्वारा क्रय की थी क्रय करने के बाद नियमानुसार उनका नामांतरण आदेशित किया गया था अनावेदक–2, 3 एवं 4 द्वारा क्रय की गयी भूमि का व्यपवर्तन अनुविभागीय अधिकारी दतिया ने प्रकरण क्रमांक-151/अ-2/2009-10 में दिनांक 26-08-2010 को आदेशित किया था.

2. यह कि, व्यपवर्तन करने के बाद अभिलिखित भूमि स्वामीयों ने आवेदक क्रमांक–2 को पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा एक भूखण्ड विक्रय किया था जिसमें से कुछ भाग आवेदक

Yo

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 1611--एक/16 जिला दतिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
1-8-16	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी तहसीलदार, बड़ोनी जिला दतिया के प्रकरण कमांक 101/बी--121/2015--16 में पारित आदेश दिनांक 3--5--16 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार, बड़ोनी द्वारा यह मानते हुए कि उक्त सर्वे नंबर 1058/1 पूर्व में शासकीय जगल दर्ज था, जिसे तत्कालीन पटवारी द्वारा अवैधानिक रूप से भूमिस्वामी स्वत्व पर कृषकों के नाम दर्ज कर दिया गया उक्त तथाकथित भूमिस्वामियों द्वारा उक्त भूमि विकयपत्र के आधार पर अन्य को अंतरित करदी गई है और यह कम निरंतर चलता रहा है, तहसीलदार ने नामांतरण पंजी कमांक 5,7,8 एवं 9 में पारित नामांतरण आदेशों का पुनरावलोकन करना आवश्यकता समझते हुए प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को पुनरावलोकन की अनुमति हेतु प्रेषित दिनांक 3--5--16 को भेजा । अनुविभागीय अधिकारी ने बिना किसी प्रकार की जांच किए तथा बिना व्यथित/हितधारी पक्षकारों को सूचना व सुनवाई का अवसर दिए दिनांक 7--5--16 को पुनरावलोकन की अनुमति तहसीलदार को प्रदान की । आवेदकों द्वारा तहसीलदार द्वारा दिनांक 3--5--16 को प्रारंभ की गई कार्यवाही एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 7--5--16 को प्रदान की गई अनुमति के उपरांत की जा रही कार्यवाही के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । 3/ आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिये गये हैं कि प्रश्नाधीन भूमि के भूमिस्वामी अनावेदक कमांक 2	

निग - 1611 - I/16 (दतिया)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर

लगायत 4 थे । उन्होंने यह भूमि पूर्व में अभिलिखित भूमिस्वामियों चन्द्रप्रकाश आदि से क्रय की थी । क्रय करने के उपरांत उनका विधिवत नामांतरण किया गया तथा उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी से प्रश्नाधीन भूमियों का डायवर्सन भी कराया जिसकी अनुमति अनुविभागीय अधिकारी ने प्र0क0 151/अ-2/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 28-8-10 द्वारा दी गई है। व्यपवर्तन होने के बाद अभिलिखित भूमिस्वामियों ने आवेदक क्रमांक 2 को पंजीकृत विक्रयपत्र द्वारा एक भूखंड विक्रय किया जिसमें से कुछ भाग आवेदक क्रमांक 2 ने आवेदक क्रमांक 1 को विधिवत अंतरित किया गया । जिस पर उनका विधिवत नामांतरण किया गया है ।

यह तर्क दिया गया कि नजूल अधिकारी द्वारा प्रश्नाधीन सर्वे नंबर 1058/1 के अंश भाग पर दिनांक 24-1-15 को अनापत्ति भी दी गई है, जिसमें यह लेख किया गया है कि उपरोक्त भूमि की अनापत्ति प्रमाणपत्र दिए जाने से कोई शासकीय भूमि प्रभावित नहीं होती है ।

यह तर्क दिया गया कि प्रश्नाधीन सर्वे नंबर के पूर्व भूमिस्वामियों के विद्वान पूर्व में रामेश्वर दयाल यादव नाम के व्यक्ति ने तहसीलदार, दतिया को शिकायत की थी जिस पर से प्रकरण क्रमांक 186/बी-121/2010-11 पंजीबद्ध किया गया तथा विस्तृत जांच उपरांत आदेश दिनांक 31-5-2011 से अनावेदक क्रमांक 2 लगायत 4 के स्वत्व एवं आधिपत्य को वैध मानते हुए शिकायत को निराधार पाते हुए कार्यवाही को समाप्त किया गया ।

यह तर्क दिया गया कि इसी प्रकार पूर्व में पटवारी, ग्राम गोविंदपुर द्वारा दिए गए प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार, दतिया के न्यायालय में अनावेदक क्रमांक 2 से 4 तथा सर्वे नंबर 1058/1 के अन्य क्रेताओं के विरुद्ध प्रकरण क्रमांक 255/बी-121/2013-14 प्रारंभ किया गया और जांच उपरांत तहसीलदार ने अनावेदकों को सुनने के उपरांत आदेश दिनांक 14-10-14 द्वारा पटवारी प्रतिवेदन के आधार पर प्रारंभ किए गए प्रकरण

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 1611–एक/16 जिला दतिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

को निरस्त कर दिया गया ।

यह तर्क दिया गया कि आवेदकों के नामांतरण आदेशों के पुनरावलोकन हेतु प्रकरण पंजीवद्ध किया गया था । आवेदकों ने जिन व्यक्तियों से भूमि कय की है उनके अधिकार एवं आधिपत्य के संबंध में पूर्व में दो बार तहसीलदार द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किये जाकर जांच उपरांत दोनों प्रकरण प्रकरण समाप्त किए यह जानकारी पटवारी और तहसीलदार को है, उनके द्वारा आवेदकों को परेशान करने की नियत से पुनः प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है जो विचाराधिकार रहित है

यह तर्क दिया गया कि पटवारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार ने दिनांक 3–5–16 को आवेदकों के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया था अतः उसमें पुनरावलोकन की अनुमति लेने के पूर्व आवेदकों को सूचना दी जाना आवश्यक थी ।

यह तर्क दिया गया कि तहसीलदार न्यायालय से प्रकरण प्राप्त होने पर अनुविभागीय अधिकारी को पुनरावलोकन की अनुमति देने के पूर्व आवेदकगण को सूचना व सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है जो अवैधानिक कार्यवाही है तथा संहिता की धारा 51 (1) के प्रावधानों के विपरीत है क्योंकि पुनरावलोकन की अनुमति विपक्षी को सुने बिना प्रदान नहीं की जा सकती है । इस संबंध में उनके द्वारा इस संबंध में उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ के निर्णय 2010 आर0एन0 124, न्यायदृष्टांत 2000 आर0एन0 76 (उच्च न्यायालय) एवं राजस्व मंडल के अनेक न्यायदृष्टांतों का संदर्भ दिया गया है । यह भी कहा गया कि

अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दी गई अवैधानिक अनुमति के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार जो कार्यवाही की जा रही है वह अवैधानिक होने से उक्त न्यायदृष्टांत के परिप्रेक्ष्य में स्थिर रखने योग्य नहीं है । उक्त आधारों पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार द्वारा प्रारंभ की गई कार्यवाही को समाप्त करने एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दी गई पुनरावलोकन की अनुमति आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है ।

7/ अनावेदक शासन की ओर से विद्वान शासकीय अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि तहसीलदार द्वारा आवेदकों को अभी केवल सूचनापत्र जारी किये गये हैं, कोई आदेश पारित नहीं किया गया है आवेदक जो तर्क इस न्यायालय के समक्ष उठा रहे हैं उनको वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उठा सकते हैं ।

यह तर्क भी दिया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दी गई अनुमति के आधार पर तहसीलदार ने आवेदकों को सूचना पत्र जारी किए हैं जिसके पालन में वे अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित भी हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में इस स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है ।

5/ उभयपक्षों के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस प्रकरण में तहसीलदार द्वारा पटवारी के प्रतिवेदन के आधार पर पुनरावलोकन की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को भेजा गया जिस पर से अनुविभागीय अधिकारी ने संबंधित व्यक्तियों को सुने बिना दिनांक 7–5–16 को पुनरावलोकन की अनुमति प्रदान की गई है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनुमति संहिता की धारा 51 के प्रावधानों के विपरीत है ।। न्यायदृष्टांत 2000 आर0एन0 76 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि राजस्व मंडल या अन्य राजस्व प्राधिकारी द्वारा मंजूरी दी जाने से पूर्व प्रतिपक्ष को सूचनापत्र निर्वाहित किया

YXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग0 1611–एक/16 जिला – दतिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	जाना और उसे सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना आवश्यक है । 2000 रे.नि. 161 में भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि –''धारा 51 (1) परंतुक (एक)– पुनर्विलोकन के लिए अनुमति–मनोनियोग के पश्चात दी जाना चाहिए–शब्द सिफारिश से सहमत–मनोनियोग दर्शित नहीं होता विधि की अपेक्षा पूरी नहीं होती ।'' इसी प्रकार 2010 रे.नि. 124 में भी माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा यह न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि– धारा 51 (1) –परंतुक (एक) –पुनर्विलोकन के लिए मंजूरी–मनोनियोग का प्रयोग किए और दूसरे पक्ष को सूचना दिये बिना नहीं दी जा सकती–यंत्रवत पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकता ।'' धारा 51 (1) –परंतुक (एक) – मनोनियोग का प्रयोग किए और दूसरे पक्ष को सूचना दिये बिना पुनर्विलोकन के लिए मंजूरी प्रदान की गई–मंजूरी प्रत्यक्षतः अवैध है–ऐसी मंजूरी पर पुनर्विलोकन की अग्रिम कार्यवाही नहीं की जा सकती । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्यायिक सिद्धांतों से स्पष्ट है कि पुनर्विलोकन की अनुमति दिये जाने के पूर्व संबंधित पक्षकार को सूचना दिया जाना आवश्यक है जबकि प्रस्तुत प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रतिपक्ष (आवेदकगण) को सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिए बिना अनुमति प्रदान की गई है । अतः इस प्रकरण में तहसीलदार द्वारा जो कार्यवाही की जा रही है वह न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं है । इसके अतिरिक्त इस प्रकरण में यह भी स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन सर्वे नंबर 1058/1 के संबंध में आवेदकों के पूर्वाधिकारियों के स्वत्व एवं नामांतरण की जांच पूर्व में दो बार	

निग – 1611 – 3/16 (शिव)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
	तहसीलदार द्वारा प्रथमबार शिकायत के आधार पर और दूसरी बार पटवारी प्रतिवेदन के आधार पर प्रारंभ की गई जिसे बाद में जांच के पश्चात समाप्त किया गया एवं यह मान्य किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि सर्वे नंबर 1058/1 भूमिस्वामी स्वत्व की है । दर्शित परिस्थिति में इस प्रकरण में तहसीलदार द्वारा प्रारंभ की गई पुनरावलोकन की कार्यवाही को उचित नहीं ठहराया जा सकता है ।	
	उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 7-5-16 एवं उसके आधार पर तहसीलदार द्वारा प्रारंभ की गई अग्रिम कार्यवाही अवैधानिक होने समाप्त की जाती है एवं यह निगरानी स्वीकार की जाती है ।	
	उभयपक्ष सूचित हों ।	
	सदस्य	